न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

जी0सी0एम0एस0 संख्या 2022/56

निगरानी संख्या 37/2022 तारीख रजू 03.03.2022

1. कैलाश पुत्र प्रभू कोली निवासी छापर कोलोनी,न्यू कोलोनी, रावरा, तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. दुर्गा पत्नि कैलाश कोली निवासी छापर कोलोनी,न्यू कोलोनी, रावरा, तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र चोखा बैरवा निवासी ग्राम छापर कालोनी, न्यू कोलोनी रावरा, तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. सरपंच साहब ग्राम पंचायत गोठडा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित – श्री मुकेश बंसल एडवोकेट प्रार्थी की ओर से।
श्री हरिमोहन जाट एडवोकेट विपक्षी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांक 14.05.2026

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत गोठडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2012 के विरूद्व प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 से मिली भगत कर आदेश दिनांक 20.10.2012 के द्वारा फर्जी तरीके से पुत्र के नाम गैर कानूनी विधि विरूद्ध पट्टा जारी कराने के कारण ग्राम पंचायत गोठडा द्वारा जारी फर्जी तरीके से जारी पट्टा आदेश दिनांक 20.10.2012 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलवी जरिये सम्मन की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा बहस के दौरान निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुये बहस में तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून व विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं0 एक ने ग्राम पंचायत गोठडा से जो पटटा जारी कराया है वह फर्जी तरीके से तैयार कर मृतक बच्चे के नाम तैयार कराया गया है जो कि दस्तावेज के आधार पर निरस्तनीय है। उक्त भूखण्ड पर अपीलान्टस का वर्षो से कब्जा चला आ रहा है जिस पर उनके पत्थर डले हुये है एवं मकान के बराबर से पुख्ता आवासीय मकान के पीछवाडे गेट व

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

दक्षिण दिशा में आम रास्ते में बराबर खडकवा दीवार बनी हुई है जिसमें निगरानीकर्तागण वर्षों से अपनी गाय बांधते व गोबर का धुडा डालने व लकडिया रखने के लिए उपयोग उपभोग में ले रहे है एवं शांतिपूर्वक इनका कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी सं0 एक का किसी प्रकार का कोई कब्जा पजेशन व हक अधिकार नहीं है ग्राम पंचायत द्वारा बिना मौका देखे व बिना कब्जे के ही अप्रार्थी सं0 एक के पुत्र के नाम पटटा जारी कर दिया। न कोई किसी प्रकार का आपत्ति नोटिस निकाला गया नाही कोई सार्वजनिक स्थान पर नोटिस चस्पा किया गया ना ही कोई किसी प्रकार की आपत्ति मांगी गई गुपचुप तरीके से यह पटटा अप्रार्थी सं0 एक के मृतक पुत्र के नाम जारी कर दिया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। पटटे के साथ में जो नक्शा है उसमें सीमाओं में कांट छांट हो रही है पूर्व व पश्चिम की सीमाएं काटकर के पुनः लिखी गई है। इस तरीके से पटटे में कांट छांट हो रही है एवं प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत गोठडा से सूचना के अधिकार के तहत उक्त पटटे की नकल मांगने पर पटटे के साथ संलग्न सीमांकन में पूर्व व पश्चिम की सीमाओं में भारी अंतर है एवं इसमें कांट छांट भी नहीं हो रही पूर्व में आम रास्ता दिखा रखा है जबकि पूर्व के पटटे मे पूर्व मे रामकल्याण जाट का मकान दिखा रखा है एवं पश्चिम में सूचना के अधिकार के तहत जो सूचना मांगी गई थी उसमें रामकल्याण व मथुरा का प्लाट दिखा रखा है जबकि पूर्व वाले में आम रास्ता दिखा रखा है इस तरह स्पष्ट रूप से साबित है कि पटटा फर्जी तरीके से बाद में तैयार किया गया है एवं धोखाधडी से जाल साजी पूर्वक तैयार किया गया है। उक्त जगह का पटटा लेने के लिए प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा भी दिनांक 6–6'2016 को दिनांक 11/5/2017 को ग्राम पंचायत गोठडा में रसीदे कटवायी गई थी जबकि अप्रार्थी सं0 2 ने प्रार्थी का कब्जा, प्रार्थी की रसीदे किसी पर भी ध्यान नहीं देते हुए अप्रार्थी सं0 एक के पक्ष मे नियम विरूद्ध पंचायत राज नियमों के विरूद्ध पटटा जारी कर दिया। जो कि निरस्तनीय है। अप्रार्थी सं0 एक द्वारा दिनांक 20.10.12 की रसीद पुस्तक संख्या 43 राशि 4000रूपये की जोकि उसके पुत्र हेमराज पुत्र रामकुंवार बैरवा निवासी रावरा के नाम है लेकिन उस पर प्रार्थी के रूप मे रामकुंवार पुत्र चोखा का नाम है उसी के हस्ताक्षर हो रहे है। उसके पुत्र हेमराज के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है इससे भी साबित है कि अप्रार्थीगण ने फर्जी तरीके से अप्रार्थी सं0 एक के मृतक पुत्र के नाम बिना कब्जा के ओर जालसाजी करके पटटा जारी किया है जो निरस्तनीय है। अप्रार्थी सं0 एक उक्त फर्जी पटटे की आड में प्रार्थी के उक्त भूखण्ड पर कब्जा करना चाहता है एवं एक फर्जी दावा भी न्यायालय सिविल न्यायाधीश खण्डार के यहां पेश कर रखा है इसलिये प्रार्थी निगरानीकर्तागण को उक्त पटटा निरस्त करना आवश्यक हो गया। दिनांक 24.12.21 को अप्रार्थी सं0 एक ने प्रार्थी से कहा कि उक्त प्लाट मेरा है मैं नींव भराउंगा एवं उक्त फर्जी पटटे की आड पर एक दावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश खण्डार के यहां पेश कर दिया जिसकी नकल दिनांक 1/2/22 को न्यायालय में लेने के लिए लगाई जो दिनांक 2/2/22 को प्राप्त हुई नकल प्राप्ति से निगरानी अन्दर मियाद पेश की गई है। अन्त में वकील निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी सं0 2 के द्वारा जारी किया गया पटटा जो दिनांक 20/10/2012 को अप्रार्थी सं0 1 के पुत्र के पक्ष में जारी किया गया है निरस्त करने का निवेदन किया गया।

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने वकील प्रार्थी द्वारा सुनाई गई बहस का खण्डन करते हुए बहस में तर्क दिया कि उक्त विवादित भूखण्ड पर हमारा पूर्व से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड का ग्राम पंचायत से पट्टा लेने के लिए हमारे द्वारा ग्राम पंचायत में नियमानुसार निर्धारित फीस जमा करवाकर पट्टा प्राप्त किया है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश खण्डार के समक्ष हमारे द्वारा दावा एवं टी.आई. पेश की गई। उक्त दावा अभी भी विचाराधीन है तथा पेश की गई टी.आई. में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश खण्डार द्वारा हमारी टी.आई. स्वीकार की गई है एवं प्रार्थीगण द्वारा पेश की गई काउन्टर टी.आई. खारिज की गई है। प्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त टी.आई. फैसले के विरूद्ध माननीय एडीजे कोर्ट में अपील की गई है जो विचाराधीन चल रही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि निगरानीकर्ता ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत उक्त पट्टा संख्या 38 आदेश दिनांक 20.10.12 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उक्त निगरानी पेश होने के पूर्व से ही गैरनिगरानीकर्ता एवं निगरानीकर्ता के मध्य माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश खण्डार में दावा एवं टी.आई. एवं काउन्टर टी.आई. विचाराधीन चल रही थी। जिसमें माननीय सिविल न्यायालय खण्डार द्वारा गैरनिगरानीकर्ता द्वारा दायर टी.आई. स्वीकार कर निगरानीकर्ता को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि "**वह ताफैसला मूल वाद प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के मद सं0 2 व 3 में वर्णित विवादग्रस्त भूखण्ड के संबंध में प्रार्थी के कब्जे व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करें और ना ही किसी अन्य से करावे।**" साथ ही निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत काउंटर टी.आई. प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया है। निगरानीकर्ता ने उक्त टी.आई. फैसले के विरूद्ध माननीय एडीजे कोर्ट में अपील की हुई है जो वर्तमान में विचाराधीन चल रही है। निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता के मध्य न्यायालय सिविल न्यायाधीश खण्डार में अभी भी उक्त वाद विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा में उक्त निगरानी को आगे चलाये जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमायी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर